कार्यालय प्रभारी अधिकारी नजारत, जनपद न्यायालय, फतेहपुर।

नोटिस नीलामी

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उत्तरी पोर्टिको के बगल में बड़ी लान में स्थित दो शीसम के हरे पेड़ भारी बरसात के कारण गिर गये हैं की नीलामी समिति की देखरेख में दिनांक 08.11.2016 दिन मंगलवार को समय 02 बजे से अपरान्ह से न्यायालय परिसर में नीलामी कराई जायेगी। नीलामी से संबंधित सूचना- ecourts.gov.in/fatehpur से भी प्राप्त की जा सकती है। नीलामी हेतु वृक्षों का विवरण निम्न हैः-

क्र. सं.	प्रजाति	गोलाई मी0 में	व्यास श्रेणी	दशा	मूल्यांकन धनराशि
1	शीशम	1.85	50-60	हरा गिरा योग्य	22276.00
2	शीशम	1.52	40-50	हरा गिरा योग्य	12852.00
				योग	35128.00 या 35200.00

नीलामी में सम्मिलित बोली बोलने वाले प्रत्येक व्यक्ति को रु0 3550/- बोली बोलने से पहले कॉशन मनी के रुप में जमा करनी होगी। नीलामी की स्वीकृत सम्पूर्ण धनराशि बोलीदार द्वारा तुरन्त जमा की जायेगी। उ0प्र0 वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 के प्रावधानों के अन्तर्गत उपरोक्त समस्त वृक्षों के कटान के लिये पातन अनुज्ञा शुल्क रु0 100 प्रति वृक्ष दिया जाना आवश्यक है। बोलीदार द्वारा उक्त वर्णित वृक्षों के प्रकाष्ठ के अभिवहन के लिये प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग के कार्यालय से अभिवहन पास (Transit pass) लेना अनिवार्य होगा।

15/10/2016

प्रभारी अधिकारी नजारत,
जनपद न्यायालय, फतेहपुर।